7069

Non Judicial

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 14/09/2018

Certificate No. U0N2018I4

GRN No. 38916928

Stamp Duty Paid : ₹ 900
(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0
(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Lucky

H.No/Floor: 0

City/Village: Sirsa

Phone: 0

Sector/Ward : 0

District : Sirsa

LandMark : 0

State : Haryana

Buyer / Second Party Detail

Name : M s Som Feed

H.No/Floor : 0

City/Village: Sirsa

Phone : 0

Sector/Ward : 0

District : Sirsa

LandMark : 0

State : Haryana

Purpose : Non judicial stamp for lease deed

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

पटानामा (LEASE DEED) मियादी 10 वर्ष भूमि वाक्या गावं धिंगतानिया तह0 वा जिला सिरसा बातर्कर 30,000/– रूप्ये वार्षिक ठेका स्टांप 900/–रूपये ई–स्टांप सर्टीफिकेट नं0 U0N2018I4 Dated-14.09.2018 रोबरू एस आर निल रकबा 2 कनाल 0 मरले।

....

मै लक्की पुत्र श्री मोहन लाल पुत्र श्री आशा राम निवासी प्रीत नगर, गली नं04, सिरसा .... प्रथम पक्ष पटा देहिंदा

वा **M/s. Som Feed Store, Kanganpur Road, Sirsa** बजरिया सोमनाथ पुत्र श्री मोहन लाल पुत्र श्री आशा राम निवासी प्रीत नगर,गली नं04, सिरसा बतौर प्रोपराईटर फर्म ....द्वितीय पक्ष पटटा गरिंदा के हैं।

जो कि वाक्या गावं धिंगतानियां तह0 वा जिला सिरसा भूमि जमाबंदी साल 2012–13 खेवट नं0 280 खतौनी नं0 333 किते–8 रकबा 45 कनाल 14 मरले का 40/914 भाग बाकदर

लक्की
प्रथम पक्ष पटटा दहिन्दा
Lucky Duggal

सोमनाथ बतौर प्रोपराईटर फर्म
द्वितीय पक्ष पटटा गरिन्दा
सोमनाथ

जारी पेज...2

रकबा 2 कनाल 0 मरले, जिसकी सीमाए इस प्रकार है पूर्व बकाया भूमि, पश्चिम मेन सड़क, उतर रास्ता साढे 16 फुट चौड़ा, दक्षिण बकाया भूमि, बरूये इंतकाल बैय नं0 2665 मंजूरशुदा के अनुसार प्रथम पक्ष की अंदर हक मलकीयत वा कब्जा में बिला बार वा बिला तनाजा है। प्रथम पक्ष को हर प्रकार से इंतकाल भूमि का हक हासिल है कोई कानूनी रुकावट पट्टा पर देने में नहीं है। किसी हुकम अदालत महकमा बैंक फर्म या किसी सालसी या जमानती कार्यवाही के जेरे असर ना है ना ही इसका सौदा बैय किसी दिगर के साथ ही कर रखा है ना ही कोई दावा ही चल रहा हैं। सो अराजी उपरोकत **रकबा 2 कनाल 0 मरले उपरोक्त सालम** मय जुमला हक वा हकूक हर प्रकार रास्ता अराम असायश तह जमीन आदि आदि के साथ जर ठेका **30,000/—रूपये वार्षिक** की दर से पास द्वितीय पक्ष पटटा गरिन्दा **M/s Som Feed Store, Kanganpur Road, Sirsa को बराये 10 साल अज दिनांक 10.09.2018 से 09.09.2028 तक का** कब्जा बाहैसियत पटेदार कें कब्जा मौका पर दे दिया है वा द्वितीय पक्ष ने भी उक्त भूमि का कब्जा बतौर पट्टेदार के सम्भाल लिया है। **द्वितीय पक्ष पटटा गरिंदा ने अराजी उक्त को गोदाम के लिए पटटा पर ली है। द्वितीय पक्ष भूमि उपरोक्त** में गोदाम की बिल्डिंग तामीर करावे वा शैड लगावे वा चारदिवारी करावे, कनैक्शन हर प्रकार लेवे, एनओसी लेवे, सम्बधित मैहकमाजात से अनुमति लेवे, कोई लाईसैंस लेवे या द्वितीय पक्ष जिस तौर पर चाहे उक्त भूमि का प्रयोग करे प्रथम पक्ष का कोई उजर वा एतराज ना होगा। जर ठेका 30,000/—रूप्ये वार्षिक की दर से फरीक दोयम पटटेदार हर **वर्ष 15 सितम्बर तक** बजरिया बैंक चैक/ड्राफट फरीक अव्वल को अदा करके रसीद हासिल करता रहेगा। जुबानी मुजराई होगा। बसूरत अदम अदाये जर ठेका वार्षिक प्रथम पक्ष को बजरिया अदालत वसूली का अधिकार होगा लेकिन प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष पटटेदार को मियाद से पहले बेदख्ल ना कर सकेगा। यदि द्वितीय पक्ष पटटेदार को जरूरत पड़े तो किसी बैकं या विभाग आदि से लोन या ग्रांट लेना चाहे तो ले सकेगे बशर्ते कि द्वितीय पक्ष मियाद मुर्कर तक उक्त भूमि को फक करवाकर प्रथम पक्ष को देगा। जुमला टैक्स बिल आदि हर प्रकार भूमि मियाद तक द्वितीय पक्ष का होगा। यदि किसी प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है वा सरकार द्वारा कोई अनुदान राशि दी जाती है तो वह अनुदान राशि द्वितीय पक्ष अपने नाम पर प्राप्त करने का हकदार होगा। प्रथम पक्ष का कोई हक या वास्ता ना होगा। पटानामा हजा के फरीकैन के अन्य कायम मुकामान वारसान काबिले पाबंद होगें। बाद मियाद कब्जा भूमि द्वितीय पक्ष अराजी खाली करके प्रथम पक्ष के हवाले बिला उजर कर देगा। यदि प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की बेदख्ली करनी पडे तो प्रथम पक्ष के तमाम हर्जा खर्चा अदायगी का द्वितीय पक्ष जिम्मेवार होगा तथा बाद गुजरने मियाद द्वितीय पक्ष अपनी तमाम तामीरात वा अन्य समान उठाकर केवल खाली समतल वा बैकं की लोन की अदायगी करके देना यानि भूमि जैसे आज दिन कब्जा हासिल किया है उसी हालात में ही प्रथम पक्ष को वापिस करने का पाबंद होगा। यदि किसी त्रुटि मलकीयत

जारी पेज...3

लक्की
प्रथम पक्ष पटटा दहिन्दा
Lucky Duggal

सोमनाथ बतौर प्रोपराईटर फर्म
द्वितीय पक्ष पटटा गरिन्दा
सोमनाथ

प्रथम पक्ष या कोई बार साबित होकर कब्जा द्वितीय पक्ष का उठ जावे या द्वितीय पक्ष को मलकीयत से हानि आवे तो हर प्रकार की जवाबदेही जिम्मेवारी प्रथम पक्ष पर होगी द्वितीय पक्ष बरी रहेगा। सो यह पटानामा मियाद बराये 10 साल अज दिनांक 10.09.2018 से 09.09.2028 तक अपनी अजाद मर्जी से बिना किसी दबाव के लिख दिया है कि प्रमाण रहे समय पर काम आवे दिनांक 14.09.2018 सिरसा।

विषय प्रलेख फरीकैन के कथनानुसार गवाहान के सामने बोलकर कम्पयूटर पर तैयार करवाया गया पढकर सुनाया गया सुनकर व समझँकर सही माना हैं।

Drafted by:
YOGINDER KUMAR
Advocate, SIRSA

ड्राफटिड बाईः–योगेन्द्र कुमार एडवोकेट सिरसा

लक्की
प्रथम पक्ष पट्टा दहिन्दा

सोमनाथ बतौर प्रोपराईटर फर्म
द्वितीय पक्ष पटटा गरिन्दां

गवाहः–श्री नागेश्वर यादव एडवोकेट, सिरसा।

गवाहः–बॉबी पुत्र श्री मोहन लाल निवासी प्रीत नगर, सिरसा